फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

हंसराज **बनाम** सरकार

संख्या / वर्ष : 09 / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को ताईद करते हुए निवेदन किया कि ग्राम कुण्डला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 137, 138, 139, 140, 141, 70, 71 जो वादी के पिता नाथूराम पुत्र मोतीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो वादी की पैतृक खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि वादी के पिता की विरासती भूमि है जो विरासत में वादी के पिता को मोतीराम से प्राप्त हुई है तथा विरासती नामान्तकरण खोलते समय उक्त भूमि में वादी के पिता के नाम के आगे नाथूराम पुत्र रामला दर्ज है जो गलत है। अतः राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम नाथूराम पुत्र रामला के स्थान पर नाथूराम पुत्र मोतीराम जाति गुर्जर घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करें। वकील वादी की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 88 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया गया है। जिसको स्वीकार करना उचित नही समझते हैं। अतः वादी का वाद पत्र पोषणीय नही होने से अस्वीकार कर गुणावगुणो के आधार पर खारिज किया जाता है। वादी नामान्तकरण को लेकर नया वाद प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़